अनुलग्नक–3

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के मौजूदा पंजीकरण को बनाए रखने के संबंध में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत कुछ बिंदू

हम ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत सभी मौजूदा ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण को बनाए/सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता में एक शर्त है – ऐसी सभी मौजूदा ट्रेड यूनियनों को ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह कहा जाए कि यूनियन का संविधान/उपनियम औद्योगिक संबंध संहिता के अनुरूप है। अतः अनुपालन विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत कानूनी स्थिति क्या है, वह निम्नलिखित है।

1. मौजूदा ट्रेड यूनियनों के लिए नए कानून के साथ तालमेल बनाने के लिए आवश्यक प्रावधानः
धारा 9(4) के अंतर्गत मौजूदा ट्रेड यूनियनों के लिए सशर्त मानी हुई पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई है

धारा 9(4): ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक ट्रेड यूनियन, जिसका पंजीकरण इस संहिता के प्रारंभ होने से ठीक पहले वैध था, इस संहिता के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा।

> परंतु ऐसी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करेगी कि ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का गठन इस संहिता के अनुरूप है, साथ ही ट्रेड यूनियन के नियम, जो औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 7 के अनुसार अद्यतन किए गए हों, प्रस्तुत करेगी, और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों में तदनुसार संशोधन करेगा।

इसके मुताबिक, संबंधित ट्रेड यूनियन के संविधानधनियम/उपनियमों में आवश्यक विषय शामिल होने चाहिए। यदि नहीं हैं, तो हमें उन्हें संशोधित या अद्यतन करना चाहिए। यह लगभग वही है जैसा पुराने ट्रेड यूनियन अधिनियम में था, लेकिन कुछ नए समावेशों के साथ, जिन्हें तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

ट्रेड यूनियन के संविधान या नियमों में शामिल किए जाने वाले विषय की धारा 7 के तहत,

ट्रेड यूनियन, पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, अपने सदस्यों के उद्देश्य से नियम बनाएगी। नियमों में निम्नलिखित विषयों का प्रावधान हो सकता हैः

- ट्रेड यूनियन का नाम,
- वे सभी उद्देश्य जिनके लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई है,
- वे सभी प्रयोजन जिनके लिए ट्रेड यूनियन की सामान्य निधियाँ उपयोग की जाएँगी, और वे सभी प्रयोजन इस संहिता के अंतर्गत विधिसम्मत होंगे,
- ट्रेड यूनियन के सदस्यों की सूची का रख–रखाव तथा पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ,
- सामान्य सदस्यों की सदस्यता (उनके कौशल या श्रेणी की परवाह किए बिना), जो वास्तव में उस औद्योगिक प्रतिष्ठान, उपक्रम या उद्योग, अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान की इकाइयों, शाखाओं या कार्यालयों में कार्यरत या नियोजित हों, जिससे ट्रेड यूनियन संबंधित है, **तथा**

ऐसे मानद या अस्थायी सदस्यों की सदस्यता, जो ऐसे श्रमिक न हों, जिनकी संख्या धारा 21 के अंतर्गत कार्यकारिणी के गठन हेतु पदाधिकारी बनने की अनुमति से अधिक न हो,

- ट्रेड यूनियन के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों द्वारा देय सदस्यता शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया जाए,
- वे शर्तें जिनके अंतर्गत कोई सदस्य नियमों द्वारा सुनिश्चित किसी लाभ का अधिकारी होगा तथा वे परिस्थितियाँ जिनमें किसी सदस्य पर जुर्माना या दंड लगाया जा सकता है,
- *ट्रेड यूनियन के सदस्यों की वार्षिक आम सभा, उस सभा में किए जाने वाले कार्य, जिसमें ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का चुनाव भी शामिल हो,*
- *वह तरीका जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार चुने जाएँगे और हटाए जाएँगे, तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी,*
- ट्रेड यूनियन की निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उसके खातों का वार्षिक ऑडिट, जैसा कि निर्धारित किया जाए, तथा खाताबही के निरीक्षण हेतु पदाधिकारियों और सदस्यों को पर्याप्त सुविधा,
- वह तरीका जिसके अंतर्गत नियमों में संशोधन, परिवर्तन या निरसन किया जाएगा तथा
- वह तरीका जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन को भंग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में कुछ अन्य पहलू भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं।

2. धारा 9(5) के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का पंजीकरण रद्द करना

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस ले सकता है या रद्द कर सकता हैः

- ट्रेड यूनियन के आवेदन पर, जिसे निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया हो, या
- उसके पास प्राप्त सूचना के आधार पर कि ट्रेड यूनियन ने इस संहिता या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या उसके संविधान या नियमों का उल्लंघन किया है, या
- यदि वह संतुष्ट हो कि ट्रेड यूनियन की सदस्य संख्या कुल श्रमिकों के दस प्रतिशत या एक सौ श्रमिकों, जो भी कम हो, से नीचे गिर गई है।
- जहाँ किसी अधिकरण ने ऐसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया हो, वहाँ रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करेगा। धारा 9(6) के अंतर्गत

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को कम से कम साठ दिन का नोटिस जारी करेगा जिसमें ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को रद्द करने के आधार बताए जाएँगे। रजिस्ट्रार ऐसा करने के कारण अभिलेखित करेगा और उन्हें ट्रेड यूनियन को सूचित करेगा।

3. उद्योग से जुड़े पदाधिकारियों का अनुपात

धारा 23(1) असंगठित क्षेत्र की प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कुल पदाधिकारियों की संख्या में से कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो वास्तव में उस प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्यरत या नियोजित हों जिससे ट्रेड यूनियन संबंधित हैः

परंतु उपयुक्त सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा घोषित कर सकती है कि इस धारा के प्रावधान किसी निर्दिष्ट ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियनों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "असंगठित क्षेत्र" से अभिप्राय ऐसे किसी क्षेत्र से है जिसे उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

धारा 23(2) उपधारा (1) में अन्यथा प्रावधानित होने को छोड़कर, किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी, कुल पदाधिकारियों की संख्या के एक–तिहाई या पाँच, जो भी कम हो, से अधिक नहीं, ऐसे व्यक्ति होंगे जो वास्तव में उस प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्यरत या नियोजित हों जिससे ट्रेड यूनियन संबंधित है।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, कोई कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुका हो या जिसकी छँटनी की गई हो, ट्रेड यूनियन में पद धारण करने के उद्देश्य से बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

(नोटः उपरोक्त भाषा को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भी यूनियन में, असंगठित क्षेत्र को छोड़कर, बाहरी नेता कुल पदाधिकारियों के एक–तिहाई से अधिक नहीं हो सकते। साथ ही, सभी बाहरी नेताओं को संबंधित यूनियन में औपचारिक निर्णय द्वारा मानद सदस्य के रूप में विधिवत शामिल किया जाना चाहिए और इसका उचित अभिलेख रखा जाना चाहिए।)

4. वार्षिक रिटर्न संबंधी धारा 26

धारा 26 (1) प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन–

(क) रजिस्ट्रार को प्रतिवर्ष, ऐसी तिथि से पहले, ऐसे प्रपत्र में, ऐसे तरीके से लेखा–परीक्षित और ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा कि निर्धारित किया जाए, एक सामान्य विवरण अग्रेषित करेगी जिसमें उस वर्ष के दौरान, जो उससे पूर्ववर्ती 31 दिसंबर को समाप्त हुआ हो, पंजीकृत ट्रेड यूनियन की समस्त प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उक्त 31 दिसंबर को विद्यमान ट्रेड यूनियन की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण होगा,

(ख) उपरोक्त खंड (क) में उल्लिखित सामान्य विवरण के साथ–साथ, उस वर्ष के दौरान ट्रेड यूनियन में पदाधिकारियों में हुए परिवर्तनों का विवरण भी रजिस्ट्रार को भेजेगी, तथा ट्रेड यूनियन के नियमों की अद्यतन प्रति भी संलग्न करेगी।

(2) पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नियमों में किए गए प्रत्येक संशोधन की प्रति, संशोधन किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) और (ख), तथा उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेजों की जाँच के उद्देश्य से, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, सभी युक्तियुक्त समयों पर, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रमाणपत्र, खाताबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का उसके पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण कर सकता है या उन्हें ऐसे स्थान पर प्रस्तुत

करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह निर्दिष्ट करेय परंतु ऐसा स्थान ट्रेड यूनियन के पंजीकृत कार्यालय से पंद्रह किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा।

5. यूनियन के नाम में परिवर्तन

धारा 24(1) के अनुसार, कोई भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम दो–तिहाई की सहमति से तथा उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपना नाम बदल सकती है।

6. ट्रेड यूनियन को संचार तथा उसके पंजीकरण विवरण में परिवर्तन धारा 11 के अंतर्गत

11.(1) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन को भेजे जाने वाले सभी संचार और नोटिस, निर्धारित तरीके से, ट्रेड यूनियन के प्रधान कार्यालय के उस पते पर भेजे जाएँगे जो रजिस्ट्रार द्वारा संधारित अभिलेख में दर्ज है।

(2) यदि ट्रेड यूनियन की सदस्य संख्या कुल श्रमिकों के दस प्रतिशत या एक सौ श्रमिकों, जो भी कम हो, से नीचे चली जाती है, तो ट्रेड यूनियन इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देगी।

(3) ट्रेड यूनियन अपने पंजीकरण आवेदन में दिए गए विवरणों तथा अपने संविधान या नियमों में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को, निर्धारित तरीके से देगी।

हमारे समक्ष तात्कालिक कार्यः

अतः श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद की व्यवस्था में हमें अपनी सभी पंजीकृत संबद्ध यूनियनों के माध्यम से उनके पंजीकृत दर्जे की रक्षा और संरक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कदम/उपाय अपनाने होंगे।

(क) श्रम संहिता की अधिसूचना से पहले पंजीकृत यूनियनों के लिएः

हमारी सभी मौजूदा यूनियनों को धारा 7 के अनुसार, जिसमें 12 बिंदु सूचीबद्ध हैं तथा ट्रेड यूनियन के पंजीकृत कार्यालय का पता भी शामिल है, अपने संविधान/नियमों को अद्यतन/संशोधित करना चाहिए ताकि वे औद्योगिक संबंध संहिता के अनुरूप हों।

- सतर्क रहें ताकि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर ऐसा विवरण तैयार किया जा सके जिसमें कहा जाए कि ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का संविधान इस संहिता के अनुरूप है तथा ट्रेड यूनियन के नियम धारा 7 के अनुसार अद्यतन किए गए हैं।
- औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत नामित ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के समक्ष उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें।

(ख) श्रम संहिता लागू होने के बाद नई यूनियनों के पंजीकरण के उद्देश्य सेः

औद्योगिक संबंध संहिता में ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा नई यूनियनों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय आवश्यक अभिलेख तदनुसार तैयार करके तैयार स्थिति में रखे जाने चाहिए।